

औपचंडिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र
 बिहार इमिक्सिपन सेवा अधिनियम २०१४ को धारा-०२ को उल्लास (३) के अधीन
 बिहार इमिक्सिपन सेवा नियमावली २०२१ के नियम १४(च)(iii) के अन्तर्गत।
निदेशक, राज्य अग्निशामन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।

पटना

सेवा में

निदेशक,
 राज्य अग्निशामन सेवा,
 बिहार, पटना

Quick & Quality Constructions Pvt. Ltd.,
 मरंगा, पूर्णियाँ।

संदर्भ :- क्रमांक... ॥५४५४. दिनांक. २८/०६/२०२३

आवेदनकर्ता वास्तुविद, सुरज भारती (विशिष्ट आई.डी.नं० ८५/२०२३)

विषय :- भवन निर्माण के लिए औपचंडिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत।

प्राप्ति

राज्य अग्निशामन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण संकंध (FSPW) की मंत्रिति के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्ता में० Quick & Quality Constructions Pvt. Ltd. के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशामन सेवा नियमावली, २०२१ के नियम १४(च)(iii) के अंतर्गत औपचंडिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम Quick & Quality Constructions Pvt. Ltd., प्लॉट नं०-१२७७, खाता नं०-१६६५, तौजी नं०-८/५, थाना नं०-११०, थाना-खजांची हाट, गौजा-गरणा, डिला-पूर्णियाँ, अधिभोग व्यावसायिक-सह-आवासीय, उप श्रेणी व्यावसायिक-सह-आवासीय, भवन की ऊँचाई २४.९० (मीटर में), कर्ज क्षेत्र ३६०४९.६० वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या ७, तलधर की संख्या २, छान्ट/झूल्ह की संख्या १, भवन के ब्लॉक की संख्या १, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार २८, लिफ्ट की संख्या १, फायर लिफ्ट की संख्या १, रैम की संख्या १, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या १, फायर ट्रावर की संख्या १ है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुगालन संबंधित वास्तुविद/भवन निर्माणकर्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :-

(१) भवन निर्माणकर्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर ५.० मी०, दक्षिण ५.० मी०, पूर्व ५.० मी०, दक्षिण ८.० मी०) एवं पलायन के माध्यम (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या २, चौड़ाई २.६०, १.० मीटर)/वाहन सीढ़ियों की संख्या १, चौड़ाई २.६० (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।

(२) खुला स्थान एवं पहुँच-

(क) भवन के चारों तरफ तत्समय प्रवृत्त भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशामन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम ३.०० मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए।

(ख) भवन का पहुँच पथ मज़बूत एवं चौड़ी हो जो २० मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से मान सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई ४.५ मीटर एवं ऊँचाई ५ मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(३) बनावट :-

(क) प्रमाणित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, २०१४ अपने समय पर यथा संशोधित तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दिवारों से उचित स्थाप से छत तक बॉटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आईएस0 गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा। सभी उच्च डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा।

(4) सीढ़ी :-

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के ऊपरी भाग में स्थायी भेन्ट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये विना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवाल की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा।

(ड) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए।

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा।

(5) अग्नि सुरक्षा प्रणाली :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:-

- (क) होज रील
- (ख) वेट राईजर-सह-डाउन कमर सिस्टम (01 अद्द)
- (ग) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम
- (घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम
- (ड) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम
- (च) स्प्रीक्लर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)
- (छ) भूतल स्टैटिक टैक 150000 लीटर क्षमता
- (ज) ओभर हेड वाटर टैक 20000 लीटर क्षमता
- (झ) एक पम्प हाउस 2850 एल.पी.एम. इलेक्ट्रीक एवं डीजल, 180 एल.पी.एम. जॉकी पम्प, 900 एल.पी.एम. बूस्टर पम्प
- (अ) फायर एक्सटीग्यूसर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए वांछित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा। कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

(क) लिफ्ट :-

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्पीयर के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिप्त इस तरह से वायर्ड होगा कि विजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिप्ट सॉफ्ट में कर धूँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रीक्लर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिप्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई० एस० गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिप्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिप्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिप्ट होना चाहिए।

(x) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिंग भल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल०पी०एम० पम्प के साथ होगा। आई० एस० 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई०एस०आई० मार्कड अग्निशामन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्वाइंट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्प्रीक्लर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वारा होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक बाहन आसानी से पहुँच सके। ओभर हेड बाटर स्टैटिक टैक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबल सील होनी चाहिए।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धूँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान - ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धूँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएंगी :-

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धूँआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रयोग्य सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का ऊपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटे की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धूँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेटिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धूँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धूँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराइजेशन/ तलघर का बेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार करना होगा।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेंटिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धूँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धूँआ